

28/12/23

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भुसावर

अवकाश रामकृष्ण अनाम अर्थोपलब्ध वर

तारीख  
हुक्म

पु.नं.:- 100/23(2023/264)

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

आ.पत्र 212 RTI

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो  
हुक्म की  
में जारी

16-12-25

पत्रावली पेश हुई वकील प्राथमिक डफा कडे अवसर  
के बावजूद भी तलबी कराया जाकर नहीं पाया जा सक  
है।

अतः प्राथमिक पत्र प्राथमिक अंतर्गत धारा 212 RTI  
आदेश लकमील (वगैर) में उही स्तर पर खारिज  
किया जाता है तथा न्यायालय द्वारा कार्य जारी शुरु  
स्वगत आदेश दिनांक 22-08-2023 में 10-12-25  
किया जाता है।

पत्रावली फिलहाल शुगर होकर गंवर लेफ्ट  
है तथा संलग्न श्ल वाद है।

उपखण्ड अधिकारी  
भुसावर (भरतपुर) राजग

24/12/23

25/12/23

25/12/23